भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3373

दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

धोखाधड़ी वाले कार्बन क्रेडिट लेन-देन

†3373. श्री बसवराज बोम्मई:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत के विकसित हो रहे कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क में धोखाधड़ी वाले कार्बन क्रेडिट लेन-देन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं/किए जाने हैं;

(ख) सरकार वर्ष 2027 और 2030 के लिए निर्धारित कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्यों के साथ आर्थिक विकास को किस प्रकार संतुलित करने की योजना बना रही है;

(ग) कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्यों का निजी क्षेत्र द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र स्थापित किए जाएंगे; और

(घ) सरकार प्रकृति 2025 में चर्चा की गई अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों से मिली सीख को भारत की जलवायु नीति ढांचे में किस प्रकार एकीकृत करने की योजना बना रही है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : जून 2023 में अधिसूचित (यथा संशोधित सहित) कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) के अनुसार, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया भारतीय कार्बन बाज़ार के लिए रजिस्ट्री है। भारतीय कार्बन बाज़ार में धोखाधड़ी वाले कार्बन क्रेडिट लेन-देन को रोकने के लिए, रजिस्ट्री को जो कार्य सौंपे गए हैं उनमें सभी लेन-देन का सुरक्षित डेटाबेस और रिकॉर्ड बनाए रखना शामिल है। यह रजिस्ट्री भारत के लिए मेटा-रजिस्ट्री के रूप में भी कार्य करती है।

(ख) : सीसीटीएस के अंतर्गत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन सघनता (जीईआई) लक्ष्यों का अनिवार्य अनुपालन केवल उत्सर्जन-सघन उद्योगों पर लागू होता है, जिन्हें 'अनिवार्य संस्थाओं' के रूप में नामित किया गया है जिनकी वार्षिक ऊर्जा खपत निर्धारित सीमाओं से अधिक होती है। इसके अलावा, विभिन्न बाध्यकारी संस्थाओं के लिए जीईआई लक्ष्य निर्धारित करते समय, उनकी यूनिटों में

संभावित तकनीकी उपायों की सीमांत कमी लागत को ध्यान में रखा जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन संस्थाओं को व्यावहारिक और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य दिए जाएँ।

(ग) : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने जुलाई 2024 में सीसीटीएस के अंतर्गत अनुपालन तंत्र के लिए विस्तृत प्रक्रिया प्रकाशित की है, जिसमें सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन (एमआरवी) फ्रेमवर्क शामिल है। एमआरवी ढांचे का एक महत्वपूर्ण पहलू सत्यापन प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत जीएचजी उत्सर्जन आंकडे का वार्षिक सत्यापन आवश्यक है। इसके अलावा, बाध्यकारी संस्थाओं द्वारा जीईआई लक्ष्यों का पालन न करने की स्थिति में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत पर्यावरण मुआवजा लगाया जा सकता है और शास्ति भी लगाई जा सकती है।

(घ) : कार्बन बाजारों पर 'प्रकृति' शीर्षक से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन फरवरी 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें उद्योगों, वित्तीय संस्थानों और अन्य हितधारकों ने कार्बन बाजार, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन कम करने के उपाय, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए वित्तपोषण आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया। इस सम्मेलन से प्राप्त सीख बाध्यकारी संस्थाओं को जीएचजी उत्सर्जन कम करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम उपाय चुनने में सक्षम बनाएगी। इसके अलावा, इस सम्मेलन से प्राप्त सीख सरकार को सीसीटीएस के नीति फ्रेमवर्क को अनुकूलित करने में भी सक्षम बनाएगी।

****